भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *405

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

उद्यम सखी पोर्टल

***405. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :**
श्री अनिल फिरोजिया :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्यम सखी पोर्टल के उद्देश्य और इसका कार्यक्षेत्र क्या है तथा इस पोर्टल के विकास एवं रखरखाव पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) इस पोर्टल की स्थापना के बाद से इसके माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी महिलाएं पंजीकृत और लाभान्वित हुई हैं;

(ग) ग्रामीण और पिछड़े जिलों को लाभान्वित करने के लिए इस पोर्टल के प्रभाव को बढ़ाने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देशभर में ग्रामीण औद्योगीकरण, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक आजीविका को बढ़ावा देने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के प्राथमिक उद्देश्य, लक्ष्य और नीतिगत अधिदेश क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ङ) ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए कताई, अन्य ग्रामोद्योग, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के विस्तार हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) से जुड़ी अन्य योजनाओं के तहत ग्राम स्तर पर उत्पादन, नवाचार और सतत आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण पद्धति, प्रदान की जा रही राजसहायता और विपणन सहायता क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

"उद्यम सखी पोर्टल" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *405, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा और संभावी महिला उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की वित्तीय स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उद्यम सखी पोर्टल को वर्ष 2018 में शुरु किया गया था।

उद्यम सखी पोर्टल के विकास और रखरखाव पर हुआ व्यय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय, विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई) द्वारा वहन किया जाता है। इस पोर्टल की शुरुआत से अब तक देश में 4,535 महिला उद्यमी पंजीकृत और लाभान्वित हुई हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और एमएसएमई संघों के समन्वय के जरिए समावेशिता तथा महिला उद्यमियों के डिजिटल पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या उद्यम/उद्यम असिस्ट पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या का लगभग 39 प्रतिशत है।

(घ) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसका उद्देश्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास को गति देने के लिए उनकी बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। केवीआईसी का कार्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें सुविधा प्रदान करना, संगठित करना और सहायता प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिए केवीआईसी (क) खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना, जिसमें खादी विकास योजना (केवीवाई) तथा ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) शामिल हैं, का कार्यान्वयन करता है।

केवीवाई के अंतर्गत, निम्नलिखित स्कीम घटकों के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक आजीविका को बढ़ावा दिया जाता है:

(i) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), खादी उत्पादक संस्थाओं, खादी कारीगरों को खादी संस्थाओं की क्षमता तथा खादी कारीगरों की आय को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) के तहत खादी संस्थाओं की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या, निधियों का संवितरण और लाभान्वित कारीगरों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।
(ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईएसईसी) खादी उत्पादन के लिए खादी संस्थानों (केआई) की आवश्यकता के अनुसार, बैंकों के माध्यम से उन्हें रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान आईएसईसी स्कीम के तहत खादी संस्थाओं की संख्या और उन्हे संवितरित निधियों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

जीवीवाई के तहत, केवीआईसी, ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों को खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आरोग्यता और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री उद्योग, हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग और नए प्रौद्योगिकी उद्योग आदि जैसे ग्रामोद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के तहत प्रशिक्षण और टूलकिट उपलब्ध कराता है तथा अन्य सहायता भी प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान जीवीवाई के तहत प्रशिक्षित और लाभान्वित कारीगरों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-III पर दी गई है।

(ङ) : केवीआईसी विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों (बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्र) और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कारीगरों/उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण केंद्र बुनाई, कताई, ग्रामीण तेल, ताड़ का गुड़, बेंत और बांस, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, पॉपकॉर्न बनाना, एयर कंडिशनर की मरम्मत और रखरखाव, मोबाइल मरम्मत, सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के तहत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और कौशल विकास को सुदृढ़ करने के लिए, केवीआईसी ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों और गांवों में कारीगरों तक अपनी पहलों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल किया है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-IV पर दी गई है।

(च) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, लाभार्थी विभिन्न भौगोलिक और जनसांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा नोडल बैंक के माध्यम से वित्तपोषण बैंक शाखाओं को भेजी जाती है और तत्पश्चात भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

पीएमईजीपी केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है, अत: इसके लिए राज्य-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। इस स्कीम के तहत, इकाइयों को प्रदर्शनियों, केवीआईसी बिक्री केंद्रों और ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन सहायता प्रदान की जाती है। सूक्ष्म उद्यमों की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं, जिसमें ग्राम स्तर सहित उत्पादन, नवाचार और सतत आय सृजन को सुविधाजनक बनाया जाना भी शामिल है:

i. विशेष श्रेणी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पिछड़े, अल्पसेवित तथा अल्प कार्यनिष्पादन वाले क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में जागरुकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन।
ii. इस स्कीम के अंतर्गत डेयरी, मुर्गीपालन, पशुपालन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन जैसी और अधिक गतिविधियों को अनुमति देने के लिए नकारात्मक सूची में संशोधन।
iii. 11 क्षेत्रीय भाषाओं में स्वीकृत संभावित लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करना।
iv. संभावित उद्यमियों के लिए नि:शुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन।
v. उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों के आवेदकों और ट्रांसजेंडरों को शामिल करना।

******

अनुबंध-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *405, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) के अंतर्गत खादी संस्थाओं की संख्या, निधियों का संवितरण और लाभान्वित कारीगरों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या				
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	पिछले 3 वर्षों में सहायता प्राप्त खादी संस्थाओं की संचयी संख्या	पिछले 3 वर्षों में निधियों का संचयी संवितरण (लाख रुपए में)	पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित कारीगरों की संचयी संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	5	16.42	138
2.	पंजाब	13	66.60	704
3.	हरियाणा	154	5,130.86	57,192
4.	दिल्ली	9	66.33	924
5.	राजस्थान	115	1,974.26	13,181
6.	उत्तराखंड	50	1,084.37	6,393
7.	उत्तर प्रदेश	552	13,313.97	1,26,976
8.	छत्तीसगढ़	20	1,629.22	3,174
9.	मध्य प्रदेश	11	760.08	2,062
10.	नागालैंड	3	15.78	45
11.	मणिपुर	5	14.90	130
12.	असम	17	285.99	5,546
13.	बिहार	21	184.33	1,450
14.	पश्चिम बंगाल	866	13,602.15	73,155
15.	झारखंड	19	146.14	679
16.	ओडिशा	82	573.75	2,346
17.	गुजरात	489	8,988.34	37,478
18.	महाराष्ट्र	10	185.63	1,414
19.	आंध्र प्रदेश	250	2,203.20	10,608
20.	तेलंगाना	4	41.24	698
21.	कर्नाटक	294	10,080.88	28,462
22.	केरल	64	4,287.29	32,696
23.	तमिलनाडु	191	6,973.56	26,444
कुल		**3,244**	**71,812.87**	**4,31,895**

अनुबंध-II

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *405, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार खादी संस्थाओं की संख्या और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना के अंतर्गत धनराशि का संवितरण			
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	पिछले 3 वर्षों में खादी संस्थाओं की संचयी संख्या	पिछले 3 वर्षों में निधियों का संचयी संवितरण (लाख रुपए में)
1.	जम्मू और कश्मीर	199	110.41
2.	हिमाचल प्रदेश	18	155.21
3.	पंजाब	22	23.16
4.	हरियाणा	185	587
5.	दिल्ली	12	14.98
6.	राजस्थान	124	237.22
7.	उत्तराखंड	111	520.26
8.	उत्तर प्रदेश	761	2,255.02
9.	छत्तीसगढ़	30	131.70
10.	मध्य प्रदेश	12	30.53
11.	असम	10	17.38
12.	बिहार	46	56.89
13.	पश्चिम बंगाल	885	1,222.23
14.	झारखंड	4	6.38
15.	ओडिशा	121	51.97
16.	गुजरात	225	328.51
17.	महाराष्ट्र	13	12.80
18.	आंध्र प्रदेश	258	314.98
19.	तेलंगाना	1	36.98
20.	कर्नाटक	283	2,428.29
21.	केरल	39	920.90
22.	तमिलनाडु	180	2,004.18
कुल		3,539	11,467.07

अनुबंध-III

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *405, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित और लाभान्वित कारीगरों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	कारीगरों की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर *	730
2	हिमाचल प्रदेश	710
3	पंजाब	560
4	चंडीगढ़ (संघ-राज्य क्षेत्र)	75
5	हरियाणा	1,674
6	दिल्ली	430
7	राजस्थान	3,300
8	उत्तराखंड	715
9	उत्तर प्रदेश	6,064
10	छत्तीसगढ	1,565
11	मध्य प्रदेश	923
12	सिक्किम	290
13	अरुणाचल प्रदेश	940
14	नागालैंड	900
15	मणिपुर	180
16	मिजोरम	60
17	त्रिपुरा	88
18	मेघालय	310
19	असम	3,008
20	बिहार	2,511
21	पश्चिम बंगाल	1,745
22	झारखंड	1,942
23	ओडिशा	2,551
24	गुजरात**	2,430
25	महाराष्ट्र ***	3,435
26	गोवा	240
27	आंध्र प्रदेश	1,651
28	कर्नाटक	3,065
29	केरल****	675
30	तमिलनाडु	3,010
31	तेलंगाना	1,560
	पंचगव्य कार्यकलापों (आरईएनटीआई) के अंतर्गत	212
	कुल	47,549

* लद्दाख, **दमन और दीव, *** दादर और नागर हवेली और ****लक्षद्वीप सहित

अनुबंध-IV

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *405, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी)
1	नई दिल्ली	3,277
2	जम्मू और कश्मीर	4,464
3	राजस्थान	1,955
4	पंजाब	560
5	हरियाणा	297
6	बिहार	7,890
7	झारखंड	2,018
8	ओडिशा	4,258
9	पश्चिम बंगाल	4,805
10	असम	3,288
11	अरुणाचल प्रदेश	322
12	मणिपुर	540
13	मेघालय	397
14	त्रिपुरा	233
15	मिजोरम	1,800
16	नागालैंड	922
17	आंध्र प्रदेश	2,323
18	तेलंगाना	6,470
19	कर्नाटक	8,498
20	केरल	9,050
21	तमिलनाडु	10,701
22	गुजरात	270
23	गोवा	10
24	महाराष्ट्र	20,921
25	छत्तीसगढ़	2,542
26	मध्य प्रदेश	5,578
27	उत्तर प्रदेश	9,949
28	उत्तराखंड	5,082
कुल		1,18,420